फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

आम जनता खोथों की ढाणी बनाम विकास अधिकारी गिडा वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 72/18 /18 सन 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्सरा जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.02.18	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थीगण ग्राम खोथों की ढाणी के निवासी है। वकील प्रार्थीगण के अनुसार विप्रार्थीगण ग्राम खोथों की ढाणी की गैर मुमकिन ओरण भूमि के खसरा नम्बर 272 रकबा 211.08 बीघा भूमि मे अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने की उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पूर्व में लगाये गये वृक्षों का काटकर, ग्रेवल सड़क निकालने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 18.04.2018 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा खोथों की ढाणी पटवार मण्डल हीरा की ढाणी तहसील गिडा के खेत खसरा नम्बर 272 रकबा 211.08 बीघा गैर मुमकिन ओरण भूमि में खोथों की बेरी से मेगाणी सियागों की ढाणी जाने वाली ग्रेवल सडक का निर्माण नहीं करे तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण आदि करें। मौके व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 18.04.2018 को पेश हों। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
18/5/18	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 13/6/18 को पेश हों।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:00:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत है

13/6/18

पत्रावली आज [illegible]
[illegible] 2018 [illegible]
[illegible] में [illegible] प्रार्थी वकील [illegible]।
[illegible] नोटिस तामील [illegible] तामील
[illegible]। इस्तगासा लेकर पत्रावली दिनांक
5/9/18 को पेश हो। तब तक [illegible] आदेश
[illegible] यथावत रहेगा।

5/9/18

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 29/10/18 को पेश हों।

29/10/18

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 20/2/19 को पेश हों।

20/2/19

पत्रावली पेश हुई।
[illegible] उपस्थित।
[illegible] अवकाश में है।
[illegible] इल्तवा होकर
[illegible] 17/6/19 को पेश हो।

17/6/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 3/9/19 को पेश हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:00:15 IST
Reason: SelfAttested

रा० अपी० 72/18

नम्बर हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/9/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। विपक्षीगण के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। प्रार्थी वकील विपक्षीगण के नोटिस पुनः पेश करें। पीठासीन अधिकारी ड्यूटी (कार्यों) के व्यस्त होने से पत्रावली आगामी दिनांक 11/11/19 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेश जैसा (यथावत) रहेगा।	
17.6.2020	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी के अधि. श्री शिवाराम ने मूलवाद 30/2018 को Not Press किया है। मूलवाद Not Press में खारिज होने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र मय स्थगन खारिज किए जाते हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] 17.6.2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	Not Press [signature] 17/6/2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:00:15 IST
Reason: SelfAttested